राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 54/2021

जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2021/44

दायर दिनांक— 14.06.2021

निर्णय दिनांक— 07.12.2023

1. सरदार पुत्र काना उर्फ कानाराम
2. गीता पुत्री काना उर्फ कानाराम
3. लाली उर्फ ममता पुत्री काना उर्फ कानाराम

सर्वजाति बलाई सर्वनिवासीगण ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़

....प्रार्थीगण

बनाम

1. काना उर्फ कानाराम पुत्र हरजी
2. दयाल पुत्र नाथुराम
3. दयाल पुत्र नाथुलाल
4. दीपू पुत्र नाथूलाल नाबा0 जरिये संरक्षक माता कमला
5. नोरत पुत्र नाथूलाल
6. शंकर पुत्र नाथूलाल
7. हीरालाल पुत्र नाथूलाल

सर्वजाति बलाई सर्वनिवासीगण ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ

8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबंधक
9. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

....अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. डॉ रामदेव गुर्जर अधि0 प्रार्थीगण

2 श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 अप्रार्थी संख्या 3,5,6

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 7 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण के दादा स्व0 हरजी पुत्र देवा की पैतृक कृषि आराजी ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 2598/1471 रकबा 1.0355 है0, ख0न0 873 रकवा 0.3236 है0 भूमि है, जो अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के दादा व दादी की विरासत से प्राप्त सम्पति है जो विरासत नामान्तरकरण संख्या 1253 दिनांक 06.05.2002 से प्राप्त है। जिसमें प्रार्थीगण का हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत विधिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवैधानिक तरीके से अवैध गिरोह तैयार कर अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त आराजी का मुख्तत्यारनामा/पॉवर ऑफ अटोर्नी से अपने नाम निष्पादित करवा ली। उक्त फर्जी व कुटरचित पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर दिनांक 30.12.2020 को भूमि अपने नाम निष्पादित करवा ली जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण धारा 207 के [illegible] अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 अवैध गिरोह तैयार कर प्रार्थीगण की सम्पति हड़प [illegible] उद्देश्य से पॉवर ऑफ अटार्नी निष्पादित करवा ली एवं अपने नाम दर्ज करवा ली व बैंक [illegible] भी दर्ज करवा ली। इससे अप्रार्थी संख्या 2 का अवैध कृत्य साफ जाहिर [illegible] उक्त खसरा [illegible] की भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा बैचान, हस्तान्तरण, [illegible] उद्धत है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की संतान है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त आराजी में विधिक अधिकारी प्रार्थीगण का भी है।

07.12.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को उक्त पैतृक आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त नहीं करने एवं प्रार्थीगण को वृक्षकीय कार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3, 5 व 6 को जवाब हेतु बार–बार अवसर प्रदान किये गये परन्तु जवाब प्राप्त नहीं। अतः अप्रार्थी संख्या 3, 5 व 6 का प्रकरण में जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण के कथन अनुसार वाद वर्णित भूमि पैतृकं भूमि है जिसमें धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी नियम के तहत प्रार्थीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है एवं जहां Separate खसरा नम्बर ना हो वहां अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रिकार्ड/आराजी पर लागू होती है। प्रलेख पॉवर ऑफ अटोर्नी कूटरचित है। बिना बंटवारा सहखातेदारी भूमि का बैचान नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि बैचान की गयी भूमि पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके खरीदी गयी है, तब से अप्रार्थी काबिज काश्त है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर विवादित आराजी में निहित अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करावें। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्यां मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा स्थित ख0न0 2598/1471 रकबा 1.0355 है0, ख0न0 873 रकबा 0.3236 है0 भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

7/12/23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested